

अनुदान संख्या 4 – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
(आयुष) मंत्रालय

GRANT No. 4 - MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2445,55,00		
			2445,61,00	1833,60,10
				- 612,00,90
पूरक	Supplementary	6,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			588,75,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	21,00	..	- 21,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services			
मू.	O.	4029.00		
			3590.08	3439.52
				-150.56
पु.	R.	- 438.92		

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	124224.00			
पू.	S.	2.00	132494.99	131285.82	-1209.17
पु.	R.	8268.99			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	14502.00			
पू.	S.	2.00	715.88	..	-715.88
पु.	R.	-13788.12			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	100100.00			
पू.	S.	1.00	48645.62	48396.35	-249.27
पु.	R.	-51455.38			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-Aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	1700.00			
पू.	S.	1.00	239.43	238.41	-1.02
पु.	R.	-1461.57			

(I) ₹65020.00 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹64355.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष “2210” –

(क) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि (आयुष) को अंतरण के लिए निधि” – ₹1400.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान को राष्ट्रीय निवेश निधि से सकल बजटीय सहायता में अंतरित किए जाने के कारण।

(ख) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य पद्धतियां – चौपियन सेवा सेक्टर स्कीम” – ₹5001.00 लाख – स्कीम का अनुमोदन न होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” –

(क) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – अन्य पद्धतियां – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)” – ₹6101.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण।

(ख) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य पद्धतियां” –

(i) “पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान पासीघाट” – ₹850.00 लाख और

(I) Provision of ₹65020.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020) remained wholly unutilised under twelve heads; of these ₹64355.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2210” -

(a) “Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts - Fund for transfer to National Investment Fund (AYUSH)” - ₹1400.00 lakhs - due to shifting of provision from National Investment Fund to Gross Budgetary Support at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Medical Education, Training and Research - Other Systems - Champion Services Sector Scheme” - ₹5001.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(B) “Major Head 2552” -

(a) “Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Other Systems - National AYUSH Mission (NAM)” - ₹6101.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation of projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(b) “Medical Education Training and Research - Other Systems” -

(i) “North Eastern Institute of Folk Medicine Passighat” - ₹850.00 lakhs; and

(ii) “पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग” – ₹1803.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

(ii) “North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy Shillong” - ₹1803.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का उपयोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और पूर्ण और व्यवहार्य प्रस्तावों के समय पर प्राप्त न होने की वजह से शेष राशि अभ्यर्पित न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and non-surrender of the balance amount owing to non-receipt of complete and viable proposals in time.

(ग) “आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि (आयुष) को अंतरण के लिए निधि” – ₹5100.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान को राष्ट्रीय निवेश निधि से सकल बजटीय सहायता में अंतरण के कारण।

(c) “Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Fund for transfer to National Investment Fund (AYUSH)” - ₹5100.00 lakhs - due to shifting of provision from National Investment Fund to Gross Budgetary Support at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित स्कीम – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि (आयुष) को अंतरण के लिए निधियां” – ₹43300.00 लाख – स्कीम के स्वास्थ्य तथा स्वस्थता हिस्से को अनुमोदन न मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान को राष्ट्रीय निवेश निधि से सकल बजटीय सहायता में अंतरण के कारण।

(C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Scheme - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for transfer to National Investment Fund (AYUSH)” - ₹43300.00 lakhs - due to non-approval of health & wellness component of the scheme and shifting of provision from National Investment Fund to Gross Budgetary Support at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित स्कीम – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि (आयुष) को अंतरण के लिए निधियां” – ₹800.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान को राष्ट्रीय निवेश निधि से सकल बजटीय सहायता में अंतरित किए जाने के कारण।

(D) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Scheme - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for transfer to National Investment Funds (AYUSH)” - ₹800.00 lakhs - due to shifting of provision from National Investment Fund to Gross Budgetary Support at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष “2551” – “सचिवालय – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय” – ₹589.48 लाख की बचत (₹4029.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कम

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat - Ministry of Ayurveda Yoga & Naturopathy Unani Siddha and Homeopathy” - saving of ₹589.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4029.00 lakhs)

निधियों की आवश्यकता होने तथा किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2210” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—चिकित्सा की अन्य पद्धतियां” –

(क) “निदेशन और प्रशासन – सूचना शिक्षा तथा संचार पर व्यय” – ₹925.65 लाख की बचत (₹5260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ कार्यक्रमों के लिए प्रचार कार्यकलाप आयोजित न किए जाने तथा अनुदान सहायता के लिए कम निधियों की आवश्यकता और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) “अन्य पद्धतियां – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)” – ₹886.86 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1801.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के स्वास्थ्य तथा स्वस्थता केंद्र हिस्से को अनुमोदन न मिलने, कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृत अनुदान का दावा न करने के कारण हुई।

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान” –

(क) “आयुर्वेद – केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान” – ₹762.99 लाख की बचत (₹27731.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) “अन्य पद्धतियां – राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान” – ₹1445.00 लाख की बचत (₹2600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनआईएसएआरजीआरएएम परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

was due to requirement of less funds towards Information Technology and economy measures.

(III) Under Major Head “2210” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Urban Health Services - Other Systems of Medicine” -

(a) “Direction and Administration - Expenditure on Information Education & Communication” - saving of ₹925.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5260.00 lakhs) was due to non-holding of publicity activities for some events and requirement of less funds towards Grants-in-aid and economy measures.

(b) “Other Systems - National AYUSH Mission (NAM)” - saving of ₹886.86 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1801.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020) was due to non-approval of the health and wellness centre component of the scheme, receipt of less proposals and non-claim of sanctioned grant by UT of Chandigarh.

(B) “Medical Education Training and Research” -

(a) “Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences” - saving of ₹762.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27731.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(b) “Other Systems - Grants to National Institute of Naturopathy Pune” - saving of ₹1445.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2600.00 lakhs) was due to non-finalization of NISARGRAM project.

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित स्कीम” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुई : –

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)” – ₹6404.65 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹48401.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के स्वास्थ्य और स्वस्थता हिस्से को अनुमोदन न मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान को राष्ट्रीय निवेश निधि से सकल बजटीय सहायता में अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)” – ₹1100.00 लाख की बचत (₹5300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई –

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)” – ₹900.00 लाख की बचत (₹3100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई और

(V) मुख्य शीर्ष “3602” के अंतर्गत – “केंद्रीय प्रायोजित स्कीम – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)” – ₹662.59 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹901.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधानों को राष्ट्रीय निवेश निधि से सकल बजटीय सहायता में अंतरित किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹18672.60 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2210” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :—

(IV) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Scheme” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - National AYUSH Mission (NAM)” - saving of ₹6404.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹48401.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020) was due to non-approval of health & wellness component of the scheme and shifting of provision from National Investment Fund to Gross Budgetary Support at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National AYUSH Mission (NAM)” - saving of ₹1100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs);

(C) “Tribal Area Sub-Plan - National AYUSH Mission (NAM)” - saving of ₹900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs); and

(V) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Scheme - Central Assistance/Share - National AYUSH Mission (NAM)” - saving of ₹662.59 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹901.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020).

Savings under the above three heads were due to shifting of provisions from National Investment Fund to Gross Budgetary Support at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly (₹18672.60 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under Major Head “2210” - under the following heads:-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां” –

(क) “निर्देशन और प्रशासन – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन” – ₹1349.10 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1399.17 लाख था।

(ख) “आयुर्वेद – अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए)” 3930.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3927.75 लाख था।

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान” –

(क) “आयुर्वेद – राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को अनुदान” – ₹2850.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2848.00 लाख था।

(ख) “होम्योपैथी” –

(i) “राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता को अनुदान” – ₹3761.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3759.00 लाख था।

(ii) “केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान” – ₹1130.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1129.00 लाख था।

(ग) “यूनानी” –

(i) “राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था बेंगलौर को अनुदान” – ₹572.00 लाख।

(ii) “केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान” – ₹839.00 लाख।

(घ) “सिद्ध” – “राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई को अनुदान” – ₹1381.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1256.00 लाख था।

(A) “Urban Health Services - Other Systems of Medicine” -

(a) “Direction and Administration - Promotion of International Cooperation” - ₹1349.10 lakhs. Actual excess, however, was ₹1399.17 lakhs.

(b) “Ayurveda - All India Institute of Ayurveda (AIIA)” - ₹3930.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3927.75 lakhs.

(B) “Medical Education, Training and Research” -

(a) “Ayurveda - Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur” - ₹2850.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2848.00 lakhs.

(b) “Homeopathy” -

(i) “Grants to National Institute of Homeopathy, Kolkata” - ₹3761.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3759.00 lakhs.

(ii) “Grants to Central Council for Research in Homeopathy” - ₹1130.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1129.00 lakhs.

(c) “Unani” -

(i) “Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangalore” - ₹572.00 lakhs.

(ii) “Grants to Central Council for Research in Unani Medicine” - ₹839.00 lakhs.

(d) “Siddha - Grants to National Institute of Siddha, Chennai” - ₹1381.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1256.00 lakhs.

(ड.) “अन्य पद्धतियां” –

- (i) “केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान” – ₹2110.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2036.30 लाख था।
- (ii) “पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग” – ₹750.50 लाख।

(e) “Other Systems” -

- (i) “Grants to Central Council for Research in Yoga & Naturopathy” - ₹2110.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2036.30 lakhs.
- (ii) “North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong” - ₹750.50 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹21.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के तहत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

3. In the capital section of the grant, provisions of ₹21.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.
